न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 33/2019

जीवणराम पुत्र धन्नाराम जाति खटीक निवासी धनावता वार्ड नं. 23 उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 काश्तकारी अधि0 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 26.6.2019

उपस्थितिः—

1 .श्री मदन सिंह गिल, एडवोकेट ———— ———— ——अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 17.2.2020

उक्त अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 26.6.2019 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अपीलांट का कथन है कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 301 ग्राम धनावता के तन में है। प्रार्थी के आगे उतर दिशा में मुकेश पुत्र हीरालाल असवाल का खेत पड़ता है उससे आगे अन्य लोगों के खेत हैं। अपीलार्थी के खेत से उत्तर में खसरा नंबर 286 व उसके आगे खसरा नंबर 655/287 लगते हैं। खसरा नंबर 655/287 के उतर में अन्य लोगों के खेत हैं, जिन्होंने ग्रेवल सड़क तक आने के लिये मुकेश के खेत में से रास्ता लेना चाहा। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मु0न0 2/2007 दिनांक 31.1.2007 के तहत मुकेश के खेत से होते हुये अपीलार्थी के खेत तक रास्ता कायम करने का आदेश दिया था। तहसीलदार उदयपुरवाटी के उक्त आदेश के विरूद्ध मुकेश ने न्यायालय श्रीमान के अपील प्रस्तुत की। अपील मुकेश असवाल बनाम जनता ग्राम धनावता व गोरिया जरिये मैग सिंह वगैरह अपील संख्या 36/2007 दर्ज की जाकर न्यायालय श्रीमान ने अपने आदेश दिनांक 11.9.2007 के तहत उक्त रास्ते बाबत तहसीलदार का आदेश निरस्त फरमा दिया। मुकेश ने अपने खेत के तारबंदी कर रखी है। गत वर्ष जुलाई में महावीर कमलेश,सुभाष वगैर लोगों ने अपीलार्थी के खेत में से जबरन रास्ता डालने की कोशिश की व लड़ाई झगडा पर उतारू हो गये जिस पर अपीलार्थी ने 10.6.2018 को उपखण्ड मजिस्टेट उदयपुरवाटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिनके द्वारा तहसीलदार व थानाधिकारी

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

उदयपुरवाटी को जांच के आदेश दिये गये और बाद जांच पुलिस थाना उदयपुरवाटी ने महावीर वगैरह के विरूद्ध शांति भंग कर इस्तगासा पेश कर पाबन्द करवाया। अघोषित कारणों से तहसीलदार उदयपुरवाटी ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाये पटवारी हल्का की रिपोर्ट का बहाना लेकर भू अभिलेख निरीक्षक उदयपुरवाटी, भू अभिलेख निरीक्षक छापोली पटवार हल्का इन्द्रपुरा के नाम आदेश पारित किया कि किसी न्यायालय का स्थगन न है तो बन्द रास्ते को खुलवाया जावे व पुलिस थाना उदयपरवाटी को इमदाद उपलब्ध करवाया जाने का लिखा। तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश मन माना है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को रास्ता बाबत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी ने तहसीलदार उदयपुरवाटी को न्यायालय श्रीमान द्वारा अपील सं0 36/2007 निर्णय दिनांक 11.9.2007 की प्रति लेकर अवगत करवा दिया था कि पूर्व में इसी रास्ते बाबत तत्कालीन तहसीलदार के आदेश को न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू ने निरस्त कर दिया था जिस पर भी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विकल्प निकाल लिया कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो पुलिस इमदाद से रास्ता खुलवाया जाये। तहसीलदार उदयपुरवाटी अपने पद के दुरूप्योग कर मातहतों पर दबाव डाल रहे है कि प्रार्थी के खेत में से जबरन तारबंदी हटाकर रास्ता खुलवाया जावे। तहसीलदार का आदेश बिना क्षेत्राधिकार के है। ग्राम गोरिया व धनावता व के काश्तकारों के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान ने पूर्व में आदेश पारित कर दिया था जिसके विरूद्ध में ग्रामवासी आगे अपील में नहीं गये। न्यायालय श्रीमान का आदेश अंतिम हो चुका है, उसमें छेड़छाड़ करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी कमी अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय 26.6.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 301 ग्राम धनावता के तन में है। प्रार्थी के आगे उतर दिशा में मुकेश पुत्र हीरालाल असवाल का खेत पड़ता है उससे आगे अन्य लोगों के खेत हैं। अपीलार्थी के खेत से उत्तर में खसरा नंबर 286 व उसके आगे खसरा नंबर 655/287 लगते हैं। खसरा नंबर 655/287 के उतर में अन्य लोगों के खेत हैं, जिन्होंने ग्रेवल सड़क तक आने के लिये मुकेश के खेत में से रास्ता लेना चाहा। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मु0न0 2/2007 दिनांक 31.1.2007 के तहत मुकेश के खेत से होते हुये अपीलार्थी के खेत तक रास्ता कायम करने का आदेश दिया था। तहसीलदार उदयपुरवाटी के उक्त आदेश के विरूद्ध मुकेश ने न्यायालय श्रीमान के अपील प्रस्तुत की। अपील मुकेश असवाल बनाम जनता ग्राम धनावता व गोरिया जरिये मैग सिंह वगैरह अपील संख्या 36/2007 दर्ज की जाकर न्यायालय श्रीमान ने अपने आदेश दिनांक 11.9.2007 के तहत उक्त रास्ते बाबत तहसीलदार का आदेश निरस्त फरमा दिया।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मुकेश ने अपने खेत के तारबंदी कर रखी है। गत वर्ष जुलाई में महावीर कमलेश, सुभाष वगैर लोगों ने अपीलार्थी के खेत में से जबरन रास्ता डालने की कोशिश की व लड़ाई झगडा पर उतारू हो गये जिस पर अपीलार्थी ने 10.6.2018 को उपखण्ड मजिस्टेट उदयपुरवाटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिनके द्वारा तहसीलदार व थानाधिकारी उदयपुरवाटी को जांच के आदेश दिये गये और बाद जांच पुलिस थाना उदयपुरवाटी ने महावीर वगैरह के विरूद्ध शांति भंग कर इस्तगासा पेश कर पाबन्द करवाया। अघोषित कारणों से तहसीलदार उदयपुरवाटी ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाये पटवारी हल्का की रिपोर्ट का बहाना लेकर भू अभिलेख निरीक्षक उदयपुरवाटी, भू अभिलेख निरीक्षक छापोली पटवार हल्का इन्द्रपुरा के नाम आदेश पारित किया कि किसी न्यायालय का स्थगन न है तो बन्द रास्ते को खुलवाया जावे व पुलिस थाना उदयपरवाटी को इमदाद उपलब्ध करवाया जाने का लिखा। तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश मन माना है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को रास्ता बाबत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी ने तहसीलदार उदयपुरवाटी को न्यायालय श्रीमान द्वारा अपील सं0 36/2007 निर्णय दिनांक 11.9.2007 की प्रति लेकर अवगत करवा दिया था कि पूर्व में इसी रास्ते बाबत तत्कालीन तहसीलदार के आदेश को न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू ने निरस्त कर दिया था जिस पर भी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विकल्प निकाल लिया कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो पुलिस इमदाद से रास्ता खुलवाया जाये। तहसीलदार उदयपुरवाटी अपने पद के दुरूपयोग कर मातहतों पर दबाव डाल रहे है कि प्रार्थी के खेत में से जबरन तारबंदी हटाकर रास्ता खुलवाया जावे। तहसीलदार का आदेश बिना क्षेत्राधिकार के है। ग्राम गोरिया व धनावता व के काश्तकारों के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान ने पूर्व में आदेश पारित कर दिया था जिसके विरूद्ध में ग्रामवासी आगे अपील में नहीं गये। न्यायालय श्रीमान का आदेश अंतिम हो चुका है, उसमें छेड़छाड़ करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय 26.6.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रचलित रास्ते को अपीलांट द्वारा तारबंदी कर बंद करने पर हल्का पटवारी इन्द्रपुरा की रिपोर्ट पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत खुलवाये जाने का आदेश पारित किया है। पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किय। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी ने ग्रामवासी धनावता एवं ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा द्वारा प्रचलित रास्ते को खुलवाये जाने का निवेदन करने पर हल्का पटवारी इन्द्रपुरा से रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त विवादित रास्ते को पुलिस इमदाद से खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। अपीलांट का कथन कि इस रास्ते को लेकर पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या 36/2007 स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.9.2007 द्वारा उक्त रास्ते बाबत तहसीलदार का

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

आदेश निरस्त फरमा दिया। उक्त आदेश अंतिम आदेश है, तब से अपीलार्थी ने अपने खेत के तारबंदी कर रखी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने खसरा नंबर 301 के खातेदार काश्तकार अपीलांट को बिना पक्षकारा बनाये उसे बिना सुनवाई का मौका दिये उनके खातेदारी काश्त की भूमि में रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी इन्द्रपुरा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का कोई अंकन नहीं होना बताया है। विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अगर किसी खातेदार काश्तकार के खेत से रास्ता खोलने का कोई आदेश पारित किया जाना है तो उसे सुना जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुना नहीं गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश दिनांक 26.6.2019 विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश दिनांक 26.6.2019 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उक्त रास्ता खोले जाने से पूर्व विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर सभी विधिक पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित स्थल का वे स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में पारित निर्णयों एवं वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के मध्यनजर अपने निणर्य में पूर्ण विवेचना करते हुये विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत गुणागुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 17.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू